→ श्री जावेद
13.12.21

First Appeal RTI Under Section 19(1) RTI Act

सेवामें,

श्री रविन्दर कुमार एस., अपीलीय अधिकारी

पावर ग्रिड कोरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड

क्षेत्रीय मुख्यालय, पश्चिम क्षेत्र–2

प्लाट संख्या 54, रिया रेवती रिसोर्ट के पास, अम्बे विद्यालय के सामने,

समा सावली रोड़, वडोदरा (गुजरात) पिनकोड– 390024

1 अपीलार्थी का नाम व पता–

आरूषि जैन पत्नी हिमांशु चोरड़िया पुत्री डॉ. अनिल जैन

पत्र व्यवहार का पता– फ्लेट नम्बर 502, हिंतावाला टॉवर

सेलिबेंशन मॉल के पास, भुवाणा, उदयपुर (राजस्थान) 313001

दूरभाष– 94141 02459

2 लोक सूचना अधिकारी / रेस्पोडेन्ट का नाम व पता–

कार्यपालक निदेशक (पश्चिम क्षेत्र–।।)

पावर ग्रिड कोरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड

प्लाट संख्या 54, रिया रेवती रिसोर्ट के पास, अम्बे विद्यालय के सामने,

समा सावली रोड़, वडोदरा (गुजरात) पिनकोड– 390008

3 संख्यांक व दिनांक सहित आदेश की विशिष्टिया जिसके विरूद्ध अपील की गयी है :–

प्रार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(1) के तहत एक आवेदन दिनांकित 25.10.2021 मय पोस्टल ऑर्डर कमांक 52एफ 385629 तादादी 10/–रूपया सहित रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 26.10.2021 को प्रत्यर्थी को भेजा। प्रत्यर्थी द्वारा प्रदत्त जवाब पत्रांक 1207 दिनांक 16.11.2021 विधिसम्मत नही है। इससे व्यथित होकर अन्दर मियाद प्रथम अपील पेश की जा रही है।

4 अपील किये जाने के संक्षेप तथ्य –

Arushi

CS Scanned with CamScanner

प्रत्यर्थी द्वारा प्रदत्त जवाब पत्रांक 1207 दिनांक 16.11.2021 विधिसम्मत नही है। प्रत्यर्थी ने आवेदन पर सद्भावी रूप से कार्यवाही नहीं की है। केन्द्रीय राज्य लोक सूचना अधिकारी ने जवाब पत्र पर हस्ताक्षर के नीचे जानबूझकर नाम का अंकन नहीं किया है।

प्रत्यर्थी ने अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत एवं चाही गई सूचना से परे जाकर सूचना का उत्तर दिया कि आवेदक ने बहुत अधिक संख्या में आवेदन पेश किये, 2021 में 10 से अधिक आवेदन पेश किये जिनका रेस्पोन्स भेजा गया, सभी आवेदन स्वयं के निजी हित में पेश किये गये। लोक सूचना अधिकारी पर सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों की पालना करने का विधिक दायित्व है। आवेदक से यह भी अपेक्षा की जाती है कि आरटीआई आवेदनों के इस तरह के बंधन के साथ सिस्टम को रोककर आरटीआई अधिनियम की भावना को कमजोर न करे। सभी आवेदन समान प्रकृति के है। आवेदक व्यापक जनहित के बजाय अपने निजी हित को बढावा देने के लिए आरटीआई के प्रावधानों का लगातार दुरूपयोग कर रहा है। सार्वजनिक कार्यालय को बार बार आरटीआई से बंद कर रहा है जिससे संबंधित अधिकारियों को परेशान किया जा रहा है और अपने निजी हितों को पूरा करने के लिए अपना सार्वजनिक जीवन बर्बाद कर रहा है। उपरोक्त के आलोक में आरटीआई अधिनियम के तहत आपक आवेदन का जवाब नही देने के निष्कर्ष निकाला गया। यह सलाह दी गई कि इस सार्वजनिक प्राधिकरण को उसी मामले पर आरटीआई आवेदनों के साथ बाढ न करे जिसमें कोई बडा सार्वजनिक हित शामिल नहीं है। प्रत्यर्थी द्वारा दिया गया आरटीआई का उत्तर औचित्यहीन व विधि विरूद्ध है।

5 प्रार्थना तथा अनुतोष का आधार–

अपील के निस्तारण हेतु निम्न विवाद्यक बिन्दु निर्धारित कर उसी अनुसार उल्लेख किया जा रहा है क्योंकि अपीलीय अधिकारी को निम्न बिन्दुओ पर विचार करते हुए अपील का निर्णय पारित करने में सुविधा रहेगी।

<u>क–क्या प्रत्यर्थी द्वारा जवाब पत्र पर हस्ताक्षर के नीचे जानबूझकर नाम का अंकन नहीं कर त्रूटि कारित की है।</u>

प्रत्यर्थी द्वारा प्रदत्त जवाब पत्रांक 1207 दिनांक 16.11.2021 के अवलोकन से स्पष्ट हो जाता है कि केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी ने अपने हस्ताक्षर के नीचे जानबूझकर नाम का अंकन नहीं किया है। उक्त मामले में केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/प्रत्यर्थी ने आवेदन पर विधिसम्मत विनिश्चय पारित नहीं किया है जिस कारण उनको ज्ञात है कि उनके खिलाफ अग्रिम कार्यवाही की जावेगी जिसमें उनके

CS Scanned with CamScanner

खिलाफ धारा 20 के तहत शास्ति व अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की जा सकती है इसी कारण केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी ने अपने हस्ताक्षर के नीचे जानबूझकर नाम का अंकन नहीं किया है। केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के नाम का अंकन नही होने के कारण आवेदक इस अपील में उनका नाम नही लिख सका है तथा नाम के अभाव में प्रथम व द्वितीय अपील में पारित निर्णय की पालना में उपरोक्त केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के नाम का पता लगाने में आवेदक व सरकार का अनावश्यक परिश्रम व धन खर्च होगा। इस कारण जवाब पत्र पर हस्ताक्षरकर्ता केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के नाम का अंकन करने का निर्देश जारी फरमाते हुए उनके नाम को इस अपील में रेकर्ड पर लेना अति आवश्यक है।

ख–क्या प्रत्यर्थी द्वारा इस आवेदन पर सद्भावपूर्वक कार्य करते हुए विधि अनुसार आवेदन को अस्वीकृत करने का विनिश्चय पारित किया है।

सूचना का अधिकार अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ जिसे करीब 16 साल हो चुके है। उक्त मामले में विनिश्चय करने वाले केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी जिनका नाम नही लिखने से आवेदक को नाम मालूम नही है, जो कि लोक सेवक है तथा जिन्हें सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों की एवं सद्भावपूर्वक शब्द की विधिक परिभाषा की भली–भांति जानकारी है। सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 7 उपधारा 1 में सूचना का अधिकार के तहत प्राप्त अनुरोध का निस्तारण किया जाने का प्रावधान है जिसके अनुसार..... या तो ऐसी फीस जिसे विहित किया जाये के भुगतान पर सूचना प्रदान करेगा या धारा 8 व 9 में विनिर्दिष्ट कारणों में से किसी कारण के लिए अनुरोध अस्वीकृत कर देगा। प्रस्तुत मामले में केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी ने उपरोक्त वर्णित धारा 7 उपधारा 1 के प्रावधानों के अनुसार अनुरोध पर विनिश्चय नहीं किया है बल्कि केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी ने कानून के विपरीत जाकर आवेदक को सूचना से वंचित करने के लिए जानबूझकर किसी अंतस्थ दुराशय से अवांछित आधारहीन तथ्य अंकित करते हुए मनमाने ढ़ंग से आवेदक को सूचना देने से इन्कार किया है। केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी ने लोक सेवक होते हुए विधि द्वारा प्रदत्त अपने पदीय कर्त्तव्य व दायित्व की अवज्ञा की है तथा सद्भावपूर्वक कार्य नहीं किया है। इस प्रकार प्रत्यर्थी द्वारा पारित विनिश्चय/जवाब विधिसम्मत नहीं है।

ग–क्या आवेदक द्वारा चाही गई सूचना प्रत्यर्थी के नियन्त्रणाधीन है, जिसका प्रकटन किया जाना आवश्यक है।

CS Scanned with CamScanner

प्रत्यर्थी के जवाब से प्रमाणित हो जाता है कि चाही गई सूचना प्रत्यर्थी के नियन्त्रणाधीन है जिसके प्रकटन में कोई कानूनी बाधा नहीं है इस कारण उक्त सूचना अविलम्ब आवेदक को उपलब्ध करायी जाना आवश्यक है।

घ–क्या प्रत्यर्थी के जवाब पत्र में अंकित आरटीआई का उत्तर में वर्णित अवांछित कथन विलोपित किये जाने योग्य है।

प्रत्यर्थी के जवाब पत्र में अंकित आरटीआई का उत्तर में वर्णित समस्त कथन अवांछित व अप्रासंगिक होने से कानूनन विलोपित होने योग्य है। आवेदन के अनुरोध का निस्तारण करने का प्रावधान अधिनियम की धारा 7 उपधारा 1 में किया गया है लेकिन प्रत्यर्थी ने उपरोक्तानुसार विनिश्चय पारित नहीं किया बल्कि प्रत्यर्थी ने जानबूझकर आवेदक को सूचना से वंचित करने व आवेदक को परेशान करने के लिए इस प्रकार के अवांछित कथन लिखे गये है इस कारण आवेदक द्वारा इनका विस्तृत उत्तर देने के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए संक्षिप्त उत्तर दिया जा रहा है।

प्रत्यर्थी ने 2021 में 10 से अधिक आवेदन देने का उल्लेख किया गया जिनका सभी का उत्तर देने पर अति विस्तृत वर्णन हो जायेगा। एक व्यक्ति को 10 से अधिक आवेदन पेश करने पर कोई कानूनी रोक हो ऐसा कानूनी प्रावधान में उल्लेख नहीं है तथा प्रत्यर्थी को आवेदक के संवैधानिक अधिकार पर रोक लगाने का कोई अधिकार नहीं है। इसके अलावा अधिनियम की धारा 6–2 में स्पष्ट प्रावधान है कि आवेदक से सूचना मांगने का कारण नहीं पूछा जा सकता इसलिए प्रत्यर्थी का कथन कि सूचना निजी हित के लिए मांगी गई है, में कोई बल नहीं है।

प्रत्यर्थी द्वारा सूचना का अधिकार की सुनिश्चितता के विपरीत कार्य करते हुए कानूनी प्रावधानों की निरन्तर अवहेलना की जा रही है। प्रत्यर्थी के कार्यालय में जब भी कोई आवेदन पेश होता है तो उस पर अधिनियम के प्रावधानों के तहत विनिश्चय नहीं किया जाता है बल्कि सर्वप्रथम यह देखा जाता है कि मांगी गई सूचना किस कर्मचारी से संबंधित है तथा सूचना के प्रकटन में उनके कर्मचारी का हित है अथवा नहीं। उसके बाद प्रत्यर्थी द्वारा आवेदक को सूचना से वंचित करने के लिए तरह तरह के बहाने रचे जाते है जिनमें आवेदक के आवेदन को ही पोस्टल ऑर्डर में कोई भी कमी बताकर रिटर्न करके सूचना देने से इन्कार किया जाता है। आवेदक के भी आवेदनों को बिना किसी कारण व प्रोविजन के प्रत्यर्थी ने मनमाने ढंग से पोस्टल ऑर्डर की कमी से आवेदन रिटर्न कर सूचना देने से इन्कार किया है। प्रत्यर्थी द्वारा आवेदकों को हतोत्साहित करने के लिए जवाब में भी आवेदको के बारे में अवांछित व कष्टदायक गैरजरूरी तथ्यों का उल्लेख किया जाता है। प्रत्यर्थी ने कई आवेदनों को पोस्टल ऑर्डर में कमी दर्शाकर लोगो को सूचना से वंचित कर आवेदन रिटर्न करने

CS Scanned with CamScanner

की बौछार करके आरटीआई की भावना को कमजोर किया जा रहा है जिससे संबंधित रेकर्ड प्रत्यर्थी के पास मौजूद है तथा कुद पत्रक पेश है। सूचना का अधिकार राजकीय कार्यकरण में पारदर्शिता लाने व जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए ही पारित किया गया। सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 5 उपधारा 3 के अनुसार लोक सूचना अधिकारी से अपेक्षा की गई है कि वह सूचना चाहने वाले व्यक्तियों को युक्तियुक्त सहायता प्रदान करेगा। लेकिन प्रत्यर्थी द्वारा निरन्तर सूचना का अधिकार अधिनियम की जानबूझकर अवहेलना की जा रही है इस कारण आवेदक जो कि एक भारतीय नागरिक है, पर संविधान में वर्णित मूल कर्त्तव्य अनुसार भी यह जिम्मेदारी है कि वह उसे संविधान द्वारा प्रदत्त सूचना का अधिकार का प्रयोग करके प्रत्यर्थी के कार्यालय की अनियमितता को उजागर करे एवं प्रत्यर्थी से सूचना का अधिकार की पालना करावे ताकि प्रत्यर्थी द्वारा आवेदक के समान कई अन्य भारतीय नागरिकों को आवेदन के साथ संलग्न प्राप्त पोस्टल ऑर्डर में कमी दर्शाकर आदि विधि विरूद्ध तरीके से सूचना से वंचित करने व आवेदको को हतोत्साहित करने की अनुचित प्रवृत्ति पर अंकुश लगाया जा सके। प्रत्यर्थी के कार्यालय की अनियमितता को उजागर करने का एकमात्र साधन आरटीआई ही है।

प्रत्यर्थी द्वारा कार्यालय में व्याप्त अनियमितता को छुपाने के लिए तथा प्रत्यर्थी द्वारा अपने सहकर्मी विभागीय कार्मिको/अधिकारियों के निजी हितों की पूर्ति हेतु उनको अनुचित लाभ पहुॅचाने के लिए आरटीआई एक्ट के प्रावधानों का दुरूपयोग करते हुए आम नागरिकों को सूचना से वंचित कर हैरान व परेशान किया जा रहा है। प्रत्यर्थी द्वारा अपने उपरोक्त अनुचित उद्देश्य की पूर्ति हेतु सरकारी मशीनरी का अनावश्यक दुरूपयोग किया जा रहा है। चाही गई सूचना का प्रकटन व्यापक जनहित में है। इस आलोक में प्रत्यर्थी के जवाब पत्र में अंकित आरटीआई का उत्तर में वर्णित अवांछित कथन विलोपित किये जाने योग्य है।

ड.–<u>क्या इस आवेदन में चाही गई सूचना का प्रकटन किया जाना व्यापक जनहित में है।</u>

आवेदन के बिन्दु संख्या 7 में निम्न सूचना चाही गई–

ए– यह कि आरटीआई आवेदन दिनांकित 21.08.2021 के साथ संलग्न पोस्टल ऑर्डर नम्बर 52एफ 385885 तादादी 10/–रूपया को भुगतान प्राप्ति हेतु आपके विभाग द्वारा पोस्ट ऑफिस में प्रस्तुत करने से संबंधित दस्तावेज/पत्र की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावे।

CS Scanned with CamScanner

बी– यह कि आरटीआई आवेदन दिनांकित 21.08.2021 के साथ संलग्न पोस्टल ऑर्डर नम्बर 52एफ 385885 तादादी 10/–रूपया को भुगतान प्राप्ति हेतु आपके विभाग द्वारा पोस्ट ऑफिस में प्रस्तुत करने पर डाक विभाग द्वारा भुगतान करने से इन्कार करने के संबंध में प्रदत्त जवाब पत्र की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावे।

सी– यह कि पिछले एक वर्ष की अवधि में आपके कार्यालय में सूचना का अधिकार के आवेदन के तहत प्राप्त कुल कितने आवेदन पोस्टल ऑर्डर में कोई कमी निकालकर या अन्य कोई कमी बताकर आवेदक को रिटर्न किये गये, इसकी जानकारी प्रदान करावे।

डी– यह कि लोक सूचना अधिकारी के नाम की जानकारी उपलब्ध करावे।

प्रत्यर्थी द्वारा अधिकांश आवेदन को केवल मात्र पोस्टल ऑर्डर में नाम न लिखने, पोस्ट मास्टर के साईन न होने, तारीख न होने, मोहर न होने का अनुचित कारण बताकर रिटर्न किया जाता है जिस कारण आवेदकों को दुबारा आवेदन करने में अनावश्यक खर्च करना पडता है तथा सरकार को भी अनावश्यक परिश्रम व धन का अपव्यय करना पडता है। चूंकि प्रत्यर्थी द्वारा समस्त पत्राचार व विधिक कार्यवाही को सरकारी खर्चे से किया जाता है इसलिए उसे कोई नुकसान नही होता लेकिन आम भारतीय नागरिक को अपने स्वयं के खर्चे से विधिक कार्यवाही करनी होती है। इस प्रकार प्रत्यर्थी द्वारा सूचना का अधिकार की भावना को कमजोर किया जा रहा है। कई मामलो में भी यह प्रतिपादित किया जा चुका है कि पोस्टल ऑर्डर में नाम का अंकन लोक सूचना अधिकारी द्वारा करना चाहिए। इसके अलावा पोस्ट मास्टर के साईन मोहर तारीख का अंकन किस प्रकार किया जाता है इस संबंध में आवेदक को एतराज करने का अधिकार नही है। हर सरकारी अधिकारी को अपनी इच्छानुसार साईन करने का अधिकार है, मोहर का भी हर बार पूरी तरह से साफ छापना संभव नहीं है। वेसे भी पोस्टल ऑर्डर का विकय करने पर डाक विभाग द्वारा उसका अंकन ओनलाईन किया जाता है जिस कारण जब भी पोस्टल ऑर्डर किसी भी डाकघर में भुगतान प्राप्ति हेतु पेश होता है तो संबंधित डाक विभाग कार्यालय में ओनलाईन चेक कर यह देख लिया जाता है कि यह कब व किस कार्यालय से जारी हुआ है। इस प्रकार उक्त सूचना के प्रकटन से यह जाहिर होगा कि आप द्वारा किस प्रकार मुझ आवेदक के आवेदन को किसी अंतस्थ कारण से जानबूझकर रिटर्न किया गया है। तथा इससे आपके कार्यालय द्वारा आरटीआई आवेदन को नियम विरूद्ध तरीके से रिटर्न करने की प्रवृत्ति पर भी अंकुश लगेगा तथा सम्पूर्ण भारतवर्ष की जनता को पता चलेगा कि एक केन्द्र सरकार के उपकम में किस प्रकार सूचना देने से बचने के लिए विधिविरूद्ध कारण सृजित किये जाते है।

Scanned with CamScanner

इस आवेदन में चाही गई सूचना से संबंधित आईपीओ के संबंध में प्रत्यर्थी के पत्र कमांक 923 दिनांक 08.09.2021 की प्रति अवलोकन हेतु पेश की जा रही है। इसी प्रकार प्रत्यर्थी का पत्र कमांक 513 दिनांक 12.07.2021 की प्रति भी अवलोकन हेतु पेश की जा रही है। इसी प्रकार प्रत्यर्थी का पत्र कमांक 921 दिनांक 08.09.2021 की प्रति भी अवलोकन हेतु पेश की जा रही है। इसी प्रकार प्रत्यर्थी का पत्र कमांक 2099 दिनांक 09.02.2021 की प्रति भी अवलोकन हेतु पेश की जा रही है।

आवेदक एक जागरूक भारतीय नागरिक है जो सूचना का अधिकार का सदुपयोग करके प्रत्यर्थी के कार्यालय की अनियमतता उजागर करना चाहता है तथा प्रत्यर्थी द्वारा मनमाने ढंग से आम नागरिक को संविधान के तहत प्राप्त सूचना का अधिकार से वंचित करने की प्रत्यर्थी की दुर्मंशा पर अंकुश लगाना चाहता है, ताकि आवेदक के समान अन्य किसी को इस प्रकार से प्रत्यर्थी द्वारा नाजायज परेशान नही किया जा सके। आवेदक ने जो सूचना चाही है उसमें वर्णित पोस्टल ऑर्डर को प्रत्यर्थी ने कभी पोस्ट ऑफिस में भुगतान प्राप्ति हेतु पेश ही नही किया गया, न पोस्ट ऑफिस ने भुगतान करने से इन्कार किया, न पोस्ट ऑफिस का ऐसा कोई पत्र की प्रति आवेदक को प्रदान की गई है। इस कारण प्रत्यर्थी को डर है कि सूचना के प्रकटन से उसके समस्त विधि विपरीत कार्यो की पोल खुल जायेगी इसी कारण प्रत्यर्थी द्वारा अवांछित एवं मिथ्या कथन उल्लिखित किये गये है ताकि आवेदक को हतोत्साहित कर उस पर अनुचित दबाव डाला जा सके और सूचना का अधिकार की भावना को कमजोर किया जा सके। सूचना के प्रकटन से प्रत्यर्थी की अनुचित व विधि विरूद्ध कार्यशैली पर अंकुश लगेगा तथा आम जन को प्रत्यर्थी की उपरोक्त कार्यशैली की सच्चाई पता चलेगी जिससे प्रत्यर्थी द्वारा किसी भी भारतीय नागरिक को भविष्य में पोस्टल ऑर्डर को विधि विरूद्ध तरीके से रिटर्न कर सूचना से वंचित नहीं किया जा सकेगा। इस प्रकार सूचना का प्रकटन व्यापक जनहित में है।

प्रत्यर्थी ने लोक सूचना अधिकारी का नाम तक बताने से इन्कार कर दिया है। प्रत्यर्थी द्वारा अधिनियम की पालना के प्रति घोर उपेक्षापूर्ण व्यवहार किया गया है।

च–<u>क्या अपीलीय अधिकारी द्वारा सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की पालना करना आवश्यक है।</u>

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपील के निस्तारण के समय सिविल न्यायालय की शक्तियॉ प्रदान की गई है। तथा अपील की कार्यवाही को भी न्यायिक कार्यवाही के समान माना गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 141 के अनुसार उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि सभी न्यायालयों पर आबद्धकर होगी।

Scanned with CamScanner

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज बनाम मैसर्स इन्दौर कम्पोजिट प्राईवेट लिमिटेड सिविल अपील नम्बर 7240/2018 निर्णय दिनांक 26.07.2018 में प्रतिपादित किया कि फैसला ऐसा लिखा जाना चाहिए कि जीतने वाले पक्ष को जीत का कारण पता चल सके और हारने वाले को हार का कारण। उन्हें फैसला लिखने में किसी तरह की कंजूसी नहीं दिखानी चाहिए। साथ ही यह भी कहा कि हर मामले में तार्किक फैसला देना चाहिए। फैसले में मामले का तथ्य होना चाहिए। पक्षकारों की दलीले होनी चाहिए। मामले में कानूनी सिद्धान्त लागू करने और किन आधारो पर फैसला किया गया, इसका जिक जरूर होना चाहिए। विस्तृत जानकारी के बिना लिखे फैसलों का कोई औचित्य नहीं है। इस प्रकार अपीलीय अधिकारी का दायित्व है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के उपरोक्त निर्णय का सम्मान करते हुए उक्त मामले में विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

इस तरह प्रत्यर्थी द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित निर्णय का सम्मान करते हुए, आवेदक की ओर से वर्णित उपरोक्त समस्त बिन्दुओं पर विचार करते हुए विधिसम्मत निर्णय पारित करना न्यायहित में आवश्यक है।

6 अधिनियम तथा नियमों के उपबन्ध तथा अन्य विवरण–

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19(5) के अनुसार– किसी अपील कार्यवाहियों में, यह साबित करने, कि अनुरोध की अस्वीकृति न्यायसंगत थी, का भार उस केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, यथास्थिति, पर होगा, जिसने अनुरोध अस्वीकृत किया।

सिविल प्रकिया संहिता के आदेश 41 नियम 31 में अपील के निर्णय की अर्न्तवस्तु के बारे में प्रावधान किया गया है जिसके अनुसार अपील न्यायालय का निर्णय लिखित होगा और उसमें निम्न का स्पष्ट वर्णन होगा– अवधार्य प्रश्न, उन पर विनिश्चय, विनिश्चय के कारण, प्रदत्त अनुतोष। अतः अपीलार्थी द्वारा पेश तर्को, तथ्यों, सबूतो, न्यायिक दृष्टान्तों, नियमों का अवलोकन करते हुए यह आदेश 41 नियम 31 में विहित प्रावधानो के अनुसार निर्णय पारित किया जाना आवश्यक है। इस प्रकार अपील का निस्तारण करते समय अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये तर्को पर विचार कर फाईन्डिंग दिया जाना आवश्यक है।

नियत समय में सूचना प्रदान नहीं कराने के कारण सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 7(6) के अनुसार प्रार्थी चाही गयी जानकारी निशुल्क प्राप्त करने का अधिकारी हैं। यदि अब भी सूचना प्रदान नहीं की जाती है तो अग्रिम कार्यवाही में

Scanned with CamScanner

सम्बद्धो के खिलाफ शास्ति लगाने व अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की मांग की जावेगी।

अपीलीय अधिकारी भी लोक सेवक की श्रेणी में आते है। अपीलीय अधिकारी द्वारा विधि द्वारा प्रदत्त पदीय कर्त्तव्योंव दायित्वों की पालनी की जाना आवश्यक है।

7 प्रार्थना तथा चाहा गया अनुतोष–

अतः प्रार्थना है कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार फर्मायी जाकर प्रार्थी/अपीलार्थी को उसके द्वारा आवेदन के बिन्दु संख्या 7–ए, बी, सी, डी में चाही गयी सूचना निःशुल्क प्रदान करायी जावे तथा प्रत्यर्थी को सूचना का अधिकार अधिनियम की घोर अवहेलना करने के लिए दण्डित किया जावे।

8 सत्यापन–

मैं आरूषी जैन पत्नी हिमांशु चोरडिया, आयु वयस्क, निवासी– उदयपुर राजस्थान प्रमाणित करती हूँ कि उक्त अपील मेमो की कलम संख्या एक से अन्त में वर्णित समस्त इबारत मेरे निजी ज्ञान से सही एवं सत्य है।

9 यह कि प्रत्यर्थी कं जवाब का जवाबुलजवाब प्रस्तुत करने हेतु अपीलार्थी को समुचित अवसर प्रदान कराया जावे। एवं अपील के निर्णय की प्रति अपीलार्थी को प्रदान करायी जावे।

10 अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत संलग्न दस्तावेज की सूची निम्न प्रकार हैं :–

(1) आवेदन पत्र की प्रति

(2) पोस्टल ऑर्डर की प्रति

(3) डाक रसीद की प्रति

(4) जवाब पत्र दिनांकित 16.11.2021 की प्रति

(5) पत्र कमांक 923 दिनांक 08.09.2021 की प्रति

(7) पत्र कमांक 513 दिनांक 12.07.2021 की प्रति

(8) पत्र कमांक 921 दिनांक 08.09.2021 की प्रति

(9) पत्र कमांक 2099 दिनांक 09.02.2021 की प्रति।

स्थान : उदयपुर

दिनांक : 04.12.2021

CS Scanned with CamScanner

1

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

1 कार्यालय का नाम–

कार्यालय कार्यपालक निदेशक (पश्चिम क्षेत्र–।।)

पावर ग्रिड कोरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड

प्लाट संख्या 54, रिया रेवती रिसोर्ट के पास, अम्बे विद्यालय के सामने,

समा सावली रोड़, वडोदरा (गुजरात) पिनकोड– 390008

2 केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी का नाम व पता–

कार्यपालक निदेशक (पश्चिम क्षेत्र–।।)

पावर ग्रिड कोरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड

प्लाट संख्या 54, रिया रेवती रिसोर्ट के पास, अम्बे विद्यालय के सामने,

समा सावली रोड़, वडोदरा (गुजरात) पिनकोड– 390008

3 आवेदक/प्रार्थीया का नाम व पता–

आरूषि जैन पत्नी हिमांशु चोरड़िया पुत्री डॉ. अनिल जैन

पत्र व्यवहार का पता– फ्लेट नम्बर 502, हिंतावाला टॉवर

सेलिबेंशन मॉल के पास, भुवाणा, उदयपुर (राजस्थान) 313001

4 दूरभाष– 94141 02459

5 आवेदन प्रस्तुत करने की दिनांक– 25.10.2021

6 आवेदन पत्र शुल्क– 10/–रूपये का पोस्टल ऑर्डर नम्बर 52F 385629

7 चाही गयी जानकारी का विवरण–

ए– यह कि आरटीआई आवेदन दिनांकित 21.08.2021 के साथ संलग्न पोस्टल ऑर्डर नम्बर 52एफ 385885 तादादी 10/–रूपया को भुगतान प्राप्ति हेतु आपके विभाग द्वारा पोस्ट ऑफिस में प्रस्तुत करने से संबंधित दस्तावेज/पत्र की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावे।

बी– यह कि आरटीआई आवेदन दिनांकित 21.08.2021 के साथ संलग्न पोस्टल ऑर्डर नम्बर 52एफ 385885 तादादी 10/–रूपया को भुगतान प्राप्ति हेतु आपके विभाग द्वारा पोस्ट ऑफिस में प्रस्तुत करने पर डाक विभाग द्वारा भुगतान करने से इन्कार करने के संबंध में प्रदत्त जवाब पत्र की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावे।

सी– यह कि पिछले एक वर्ष की अवधि में आपके कार्यालय में सूचना का अधिकार के आवेदन के तहत प्राप्त कुल कितने आवेदन पोस्टल ऑर्डर में कोई कमी निकालकर या अन्य कोई कमी बताकर आवेदक को रिटर्न किये गये, इसकी जानकारी प्रदान करावे।

डी– यह कि लोक सूचना अधिकारी के नाम की जानकारी उपलब्ध करावे।

8 यह कि सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6–2 के अनुसार सूचना चाहने हेतु कोई कारण बताया जाना आवश्यक नहीं है इसलिए इस आवेदन में चाही गई सूचना को मनमर्जी से तलाक के केस की प्रतिपूर्ति हेतु मांगना नहीं माना जा सकता है। फिर भी उल्लेख किया जा रहा है कि आप द्वारा अधिकांश आवेदन को केवल मात्र पोस्टल ऑर्डर में नाम न लिखने, पोस्ट मास्टर के साईन न होने, तारीख न होने, मोहर न होने का अनुचित कारण बताकर रिटर्न किया जाता है जिस कारण आवेदकों को दुबारा आवेदन करने में अनावश्यक खर्च करना पडता है। कई मामलो में भी यह प्रतिपादित किया जा चुका है कि पोस्टल ऑर्डर में नाम का अंकन लोक सूचना अधिकारी द्वारा करना चाहिए। इसके अलावा पोस्ट मास्टर के साईन मोहर तारीख का अंकन किस प्रकार किया जाता है इस संबंध में आवेदक को एतराज करने का अधिकार नही है। हर सरकारी अधिकारी को अपनी इच्छानुसार साईन करने का अधिकार है, मोहर का भी हर बार पूरी तरह से साफ छापना संभव नहीं है। वेसे भी पोस्टल ऑर्डर का विक्रय करने पर डाक विभाग द्वारा उसका अंकन ओनलाईन किया जाता है जिस कारण जब भी पोस्टल ऑर्डर किसी भी डाकघर में भुगतान प्राप्ति हेतु पेश होता है तो संबंधित डाक विभाग कार्यालय में ओनलाईन चेक कर यह देख लिया जाता है कि यह कब व किस कार्यालय से जारी हुआ है। इस प्रकार उक्त सूचना के प्रकटन से यह जाहिर होगा कि आप द्वारा किस प्रकार मुझ आवेदक के आवेदन को किसी अंतस्थ कारण से जानबूझकर रिटर्न किया गया है। तथा इससे आपके कार्यालय द्वारा आरटीआई आवेदन को नियम विरूद्ध तरीके से रिटर्न करने की प्रवृत्ति पर भी अंकुश लगेगा तथा सम्पूर्ण भारतवर्ष की जनता को पता चलेगा कि एक केन्द्र

सरकार के उपक्रम में किस प्रकार सूचना देने से बचने के लिए विधिविरूद्ध कारण सृजित किये जाते है।

9 यह कि इस आवेदन के बिन्दु संख्या 7ए व 7बी में मांगी गई सूचना केवल संबंधित अनुभाग के कार्मिक के पास उपलब्ध है जिसको तैयार करने के लिए कंपनी के सभी कर्मचारियों को लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा बिन्दु संख्या 7सी में मांगी गई सूचना तैयार करने के लिए भी आपको अतिरिक्त कार्मिक लगाने की आवश्यकता नहीं है बल्कि उक्त सूचना भी आपको प्रतिवर्ष स्वप्रेरणा से तैयार करनी होती है जो आपके कार्यालय में निश्चित रूप से उपलब्ध है। बिन्दु संख्या 7–डी में मांगी गइ सूचना भी तैयार करने के लिए आपको कंपनी के सभी कार्मिको को लगाने की जरूरत नही है बल्कि आपको स्वयं का नाम मालूम है। चूंकि आप द्वारा हस्ताक्षर के नीचे नाम का अंकन नहीं किया जाता इस कारण उक्त सूचना मांगना आवश्यक होता है ताकि अग्रिम कार्यवाही में नाम लिखा जा सके।

10 यह कि आवेदन के साथ संलग्न पोस्टल ऑर्डर में नाम लिखने पर आप द्वारा पूर्व में किसी अन्य आवेदन के जवाब में सूचित किया गया कि पोस्टल ऑर्डर में केवल कंपनी का नाम लिखना है लेकिन इसका कोई कानूनी आधार नहीं बताया कि किस वजह से कम्पनी का नाम लिखना है इस कारण इस आवेदन के साथ पोस्टल ऑर्डर में पाने वाले का नाम रिक्त रखा गया है जिसे आप जैसा उचित समझे भरकर आवेदन शुल्क की राशि प्राप्त करे।

11 यह कि सूचना का अधिकार अधिनियम की प्रस्तावना का अवलोकन करे।

12 यह कि चाही गयी जानकारी बिन्दुवार, स्पष्ट एवं सुपठनीय रूप से यथाशीघ्र प्रदान करायी जावे।

भारतीय डाक
India Post

ER122287878IN IVR:6982122287878
SP UDAIPUR FATEHPURA S.O <313001>
Counter No:1.26/10/2021.12:41
To:KARYAPALAK DI.POWER GRID CORP
PIN:390001. Vadodara HO
From:ARUSHI JAIN.GITAWALA TOWER
Wt:30gms
Amt:41.30(Cash)Tax:6.30
<Track on www.indiapost.gov.in>
<Dial 18002666868> <Wear Masks. Stay Safe>

3

ER122287878IN
26/10/21
Vadodara
Power grid

अधपन्ना COUNTERFOIL

इसे फाड़कर प्रेषक अपने पास रख ले।
To be detached and kept by the Sender.

पोस्टल आर्डर
₹ 10
POSTAL ORDER

2

किसे अदा करना
To whom payable ____________

किस डाकघर में
At what Office Vadodara

क्या इसे क्रास किया है
Whether crossed ____________

भेजने की तारीख
Date sent 25/10/21

52F 385629

पावरग्रिड
POWERGRID

पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED
(A Government of India Enterprise)

प..क्षे-.II/लोक सूचना/2021/068 | 1207

दिनांक : 16/11/2021

4

सेवा में,
श्रीमती आरुषि जैन
पुत्री – डॉ. अनिल जैन
502, Hitawala Tower, Nr. Celebration Mall,
Udaipur – 313 001, Rajasthan.

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत मांगी गयी जानकारी के संबंध में ।

महोदया,
सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आपके द्वारा प्रेषित पत्र एवं रूपये 10/- का IPO नं.- 52F 385629 (संदर्भ के लिए संलग्न), इस कार्यालय में के.लो.सू. के द्वारा दिनांक 29/10/2021 को प्राप्त हुआ है । आवेदन पत्र में मांगी गयी जानकारी का जवाब इस पत्र के साथ संलग्न प्रेषित है।

यदि आप केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी के उत्तर से संतुष्ट न हों तो, CPIO के उत्तर की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर अपीलिय अधिकारी के सम्मुख अपील कर सकते हें । आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत अपीलिय अधिकारी का नाम और पता निम्मानुसार है ।

श्री रविन्दर कुमार एस., अपीलीय अधिकारी,
पावर ग्रिड कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड,
क्षेत्रीय मुख्यालय, पश्चिम क्षेत्र-2
प्लाट न-.54, रिया-रेवती रिसोर्ट के पास, समा-सावली रोड,
वडोदरा – 390 024 (गुजरात).
धन्यवाद सहित,

(केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी)
पश्चिम क्षेत्र – II, वडोदरा

संलग्न : यथोपारि

प्रतिलिपि: -

1. कार्यपालक निदेशक (प.क्षे-.II), वड़ोदरा – सादर सूचनार्थ
2. वरिष्ठ महाप्रबंधक (सतर्कता), प.क्षे.-॥
3. मुख्य प्रबन्धक (LAW), प.क्षे.-॥

श्रीमती आरुषि जैन पत्नी हिमांशु चोरडिया की दिनांक 29/10/2021 को प्राप्त आरटीआई अर्जी जोकि प्रार्थी द्वारा दिनांक 21/08/2021 को सूचना का अधिकार के आवेदन के तहत भेजे गए भारतीय पोस्टल ऑर्डर की राशि के भुगतान प्राप्ति हेतु संबन्धित दस्तावेज़/पत्र - एवं बिन्दु 7बी व 7सी की जानकारी के संदर्भ में मांगी गयी सूचना का जवाब निम्नलिखित है;

आरटीआई अर्जी	RTI का उत्तर
(1) दिनांक 29/10/2021 को प्राप्त RTI अर्जी :-	It has been observed that applicant have filed a large number of RTI Applications with this office. During the current year i.e., 2021 itself, so far 10 (Ten) Application under RTI Act have been received and response of all these 10 (Ten) applications has already been sent. It has been observed that all applications filed by you are on the issue on your own personal interest. CPIO has a statutory responsibility of complying with the provisions of the RTI Act, it is also expected of the RTI Applicant/s to not undermine the spirit of the RTI Act by clogging the system with such a barrage of RTI applications. It has been noted that all these RTI applications are of identical/similar in nature. Applicant is continuously abusing the provisions of RTI to promote her own personal interest rather than larger public interest, clogging the public office with repeated RTIs thereby rendering harassment of the dealing officials and wasting their public time for meeting her personal ends. *In the light of the above, we have reached to a conclusion to not to respond to your applications under RTI Act. You are also advised not to flood this Public Authority with RTI Applications on the same matter involving no larger public interest.*

(केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी)
पश्चिम क्षेत्र – II, वडोदरा

पावरग्रिड
POWERGRID

पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED
(A Government of India Enterprise)

प..क्षे-.II/लोक सूचना/2021/062 - 923

दिनांक : 08/09/2021

5

सेवा में,
श्रीमती आरुषि जैन
पुत्री – डॉ. अनिल जैन
502, Hitawala Tower, Nr. Celebration Mall,
Udaipur – 313 001, Rajasthan.

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत मांगी गयी जानकारी के संबंध में ।

महोदया,
सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आपके द्वारा प्रेषित पत्र एवं रूपये 10/- का IPO नं.-52F 385885, इस कार्यालय में के.लो.सू. के द्वारा दिनांक 26/08/2021 को प्राप्त हुआ है। आप के द्वारा आवेदन पत्र के साथ पंजीकरण शुल्क हेतु भेजे गए रूपये 10/- का IPO नं.-52F 385885 को पावरग्रिड के वित्त विभाग द्वारा निम्नानुसार उल्लिखित कारणों की वजह से पोस्ट ऑफिस द्वारा नॉन-कैशेबल बताया गया है । इसलिए उक्त IPO की मूल प्रति आप को वापस लोटाइ जा रही है ।

कारण :- (1) Post Master Stamp Missing (2) Date of issue is not Visible
(3) Sign of Post Master missing

आप से अनुरोध है कि कृपया आरटीआई अधिनियम के तहत आवश्यक पंजीकरण शुल्क 10/- (दस रुपये), ***"पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड"*** के नाम से एवं ***वडोदरा*** में देय, डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर चेक या भारतीय पोस्टल आर्डर के माध्यम से जमा करें ताकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत आप के द्वारा मांगी गयी जानकारी दी जा सके ।

Note : The date of registration of RTI will be on receipt of IPO / DD / Banker Cheque.

यह आपकी सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।
धन्यवाद सहित,

(केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी)
पश्चिम क्षेत्र – II, वडोदरा

संलग्न : यथोपारि
प्रतिलिपि: -

1. कार्यपालक निदेशक (प.क्षे-.II), वड़ोदरा – सादर सूचनार्थ
2. वरिष्ठ महाप्रबंधक – (वित्त व लेखा) / (सतर्कता), प.क्षे.-॥
3. मुख्य प्रबन्धक (LAW), प.क्षे.-॥

क्षेत्रीय मुख्यालय प्लाट सं.54,रिया रेवती रिसोर्ट के पास,अम्बे विद्यालय के सामने समा सावली रोड, वडोदरा–390008(गुजरात)
RHQ/ Plot No.54, Adjacent to Riya-Revati Resort, Opp Ambe Vidhyalaya, Sama Savli Road Vadodara – 390008(Gujarat)
averma@powergridindia.com
केन्द्रीय कार्यालय: "सौदामिनी", प्लॉट नंबर 2, सेक्टर -29, गुरुग्राम -122001, (हरियाणा) दूरभाष: 0124-2571700-719
Corporate Office: "Saudamini", Plot No. 2, Sector-29, Gurugram-122001, (Haryana) Tel.: 0124-2571700-719
पंजीकृत कार्यालय: बी -9, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली -110 016. दूरभाष: 011-26560112, 26560121, 26564812, 26564892, CIN: L40101DL1989GOI038121
Registered Office: B-9, Qutab Institutional Area, Katwaria Sarai, New Delhi-110 016. Tel: 011-26560112, 26560121, 26564812, 26564892, CIN : L40101DL1989GOI038121
Website: www.powergridindia.com

पावरग्रिड
POWERGRID

पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED
(A Government of India Enterprise)

प..क्षे-.II/लोक सूचना/2021/060/513

दिनांक : 12/07/2021

6

सेवा में,
श्रीमती आरुषि जैन
पुत्री – डॉ. अनिल जैन
502, Hitawala Tower, Nr. Celebration Mall,
Udaipur – 313 001, Rajasthan.

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत मांगी गयी जानकारी के संबंध में ।

महोदया,
सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आपके द्वारा प्रेषित पत्र एवं रूपये 10/- का IPO नं.-52F 385287, इस कार्यालय में के.लो.सू. के द्वारा दिनांक 05/07/2021 को प्राप्त हुआ है। आप के द्वारा आवेदन पत्र के साथ पंजीकरण शुल्क हेतु भेजे गए रूपये 10/- का IPO नं.-52F 385287 को पावरग्रिड के वित्त विभाग द्वारा निम्नानुसार उल्लिखित कारणों की वजह से पोस्ट ऑफिस द्वारा नॉन-कैशेबल बताया गया है । इसलिए उक्त IPO की मूल प्रति आप को वापस लोटाइ जा रही है ।

कारण :- (1) Post Master Stamp Missing (2) Date of issue is not Visible
(3) Sign of Post Master missing

आप से अनुरोध है कि कृपया आरटीआई अधिनियम के तहत आवश्यक पंजीकरण शुल्क 10/- (दस रुपये), ***"पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड"*** के नाम से एवं ***वडोदरा*** में देय, डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर चेक या भारतीय पोस्टल आर्डर के माध्यम से जमा करें ताकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत आप के द्वारा मांगी गयी जानकारी दी जा सके ।

Note : The date of registration of RTI will be on receipt of IPO / DD / Banker Cheque.

यह आपकी सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।
धन्यवाद सहित,

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी 12/7/21,
पश्चिम क्षेत्र – II, वडोदरा

संलग्न : यथोपारि
प्रतिलिपि: -

1. कार्यपालक निदेशक (प.क्षे-.II), वड़ोदरा – सादर सूचनार्थ
2. वरिष्ठ महाप्रबंधक – (वित्त व लेखा) / (सतर्कता), प.क्षे.-॥
3. मुख्य प्रबन्धक (LAW), प.क्षे.-॥

पावरग्रिड
POWERGRID

पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED
(A Government of India Enterprise)

प..क्षे-.II/लोक सूचना/2021/061-921

दिनांक : 08/09/2021

7

सेवा में,
श्रीमती आरुषि जैन
पुत्री – डॉ. अनिल जैन
502, Hitawala Tower, Nr. Celebration Mall,
Udaipur – 313 001, Rajasthan.

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत मांगी गयी जानकारी के संबंध में ।

महोदया,
सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आपके द्वारा प्रेषित पत्र एवं रूपये 10/- का IPO नं.-52F 385887, इस कार्यालय में के.लो.सू. के द्वारा दिनांक 26/07/2021 को प्राप्त हुआ है। आप के द्वारा आवेदन पत्र के साथ पंजीकरण शुल्क हेतु भेजे गए रूपये 10/- का IPO नं.-52F 385887 को पावरग्रिड के वित्त विभाग द्वारा निम्नानुसार उल्लिखित कारणों की वजह से पोस्ट ऑफिस द्वारा नॉन-कैशेबल बताया गया है । इसलिए उक्त IPO की मूल प्रति आप को वापस लोटाइ जा रही है ।

कारण :- (1) Post Master Stamp Missing (2) Date of issue is not Visible
(3) Sign of Post Master missing

आप से अनुरोध है कि कृपया आरटीआई अधिनियम के तहत आवश्यक पंजीकरण शुल्क 10/- (दस रुपये), ***"पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड"*** के नाम से एवं ***वडोदरा*** में देय, डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर चेक या भारतीय पोस्टल आर्डर के माध्यम से जमा करें ताकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत आप के द्वारा मांगी गयी जानकारी दी जा सके ।

Note : The date of registration of RTI will be on receipt of IPO / DD / Banker Cheque.

यह आपकी सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।
धन्यवाद सहित,

(केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी)
पश्चिम क्षेत्र – II, वडोदरा

संलग्न : यथोपारि

प्रतिलिपि: -

1. कार्यपालक निदेशक (प.क्षे-.II), वड़ोदरा – सादर सूचनार्थ
2. वरिष्ठ महाप्रबंधक - (वित्त व लेखा) / (सतर्कता), प.क्षे.-॥
3. मुख्य प्रबन्धक (LAW), प.क्षे.-॥

पावरग्रिड
POWERGRID

पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED
(A Government of India Enterprise)

प..क्षे-.II/ लोक सूचना/2021/051/-2099

दिनांक : 09/02/2021

8

सेवा में,
श्रीमती आरुषि जैन
पुत्री – डॉ. अनिल जैन
502, Hitawala Tower, Nr. Celebration Mall,
Udaipur – 313 001, Rajasthan.

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत मांगी गयी जानकारी के संबंध में ।

महोदय,

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आपके द्वारा प्रेषित पत्र, इस कार्यालय में दिनांक 25/01/2021 को के.लो.सू. के द्वारा प्राप्त हुआ है। आप के आवेदन द्वारा आरटीआई अधिनियम के तहत रु. 10/- IPO के माध्यम से **कार्यपालक निदेशक, पावर ग्रिड** के नाम से जमा किए गए हें जो कि आवेदन शुल्क जमा करने का उचित रूप नहीं है।

आप से अनुरोध है कि कृपया आरटीआई अधिनियम के तहत आवश्यक पंजीकरण शुल्क 10/- (दस रुपये), ***"पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड"*** के नाम से एवं ***वडोदरा*** में देय, डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर चेक या भारतीय पोस्टल आर्डर के माध्यम से जमा करें ताकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत आप के द्वारा मांगी गयी जानकारी दी जा सके ।

Note : The date of registration of RTI will be on receipt of IPO / DD / Banker Cheque.

यह आपकी सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

धन्यवाद सहित,

9/4/21
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
पश्चिम क्षेत्र – II, वडोदरा

प्रतिलिपि: -

1. कार्यपालक निदेशक (प.क्षे-.II), वड़ोदरा – सादर सूचनार्थ
2. वरिष्ठ महाप्रबंधक (सतर्कता), प.क्षे.-॥

सेवा में,

श्री रविन्द्र कुमार एस

अपीलीय अधिकारी

पावर ग्रिड कोरपोरेशन ऑफ इंडिया लि

क्षेत्रीय मुख्यालय, पश्चिम क्षेत्र-2

प्लॉट संख्या 54

दिया रेवती रिसोर्ट के पास

अम्बे विद्यालय के सामने

समा सावली रोड

वडोदरा (गुजरात)

पिन कोड - 390024

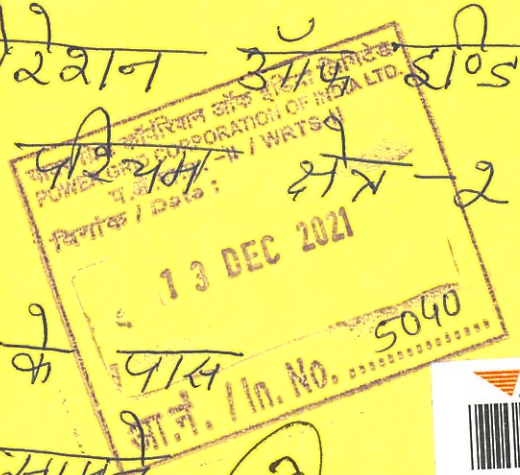

भारतीय डाक
India Post

Counter No:1,08/12/2021,17:28
Amt:47.20(Cash)Wt:98gms
From:COUNTER UDAIPUR RMS <313004>
From:Udaipur ICH Hub
To: Hub
Del PO:Chhani Rd SO<390024>

From,
Arushi Jain
D/o Dr Anil Jain
Flat No 502
Mitawala Tower
Near Celebration Mall, Bhuvana
Udaipur - 313001
Mobile - 9414102459